

प्ररूप सं. 49ग

[नियम 114धक]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 285 के अधीन वार्षिक विवरणी

क्र. सं.

1. वित्तीय वर्ष, जिसके संबंध में विवरणी प्रस्तुत की जा रही है
.....
2. भारत में अनिवासी व्यक्ति का नाम और मूल पता
.....
3. अनिवासी व्यक्ति के प्रधान कार्यालय का पता
.....
4. ¹[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] (यदि आबंटित किया गया है)
.....
5. निगमय या निवासीय देश का कर पहचान संख्यांक, यदि कोई हो
.....
6. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किए गए संपर्क कार्यालय रजिस्ट्रीकरण संख्यांक
.....
7. संपर्क कार्यालय द्वारा आरंभ किए गए क्रियाकलापों की प्रकृति
.....
8. भारत में संपर्क कार्यालय खोले जाने की तारीख
.....
9. संपर्क कार्यालय खोले जाने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की तारीख
.....
10. भारत में संपर्क कार्यालय/संपर्क कार्यालयों का पता/पते
.....

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

11. वित्तीय वर्ष के संबंध में वार्षिक क्रियाकलाप प्रमाण-पत्र भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने की तारीख
.....
12. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथाविहित वार्षिक क्रियाकलाप प्रमाण-पत्र हस्ताक्षरित करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम, पता और सदस्यता संख्यांक
.....
13. भारत से या भारत में (न केवल संपर्क कार्यालय के) वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत संबंधी विनिर्दिष्ट वित्तीय ब्यौरे अर्थात् प्राप्तियां, आय और व्यय
.....
14. अनिवासी व्यक्ति द्वारा वर्ष के दौरान भारतीय पक्षों से/को सामग्री के सभी क्रयों, विक्रयों तथा सेवाओं का ब्यौरा (जो संपर्क कार्यालय द्वारा किए गए संव्यवहारों तक सीमित न हो)
.....
15. भारत में अनिवासी व्यक्ति के प्रत्येक कार्यालय के लिए भार साधक अधिकारी का नाम और पदनाम
.....
16. भारत में कार्य कर रहे किसी कर्मचारी को या भारत में प्रदान की गई सेवाओं के लिए भारत के बाहर किसी प्रकार के संदेय किसी वेतन या प्रतिकर के ब्यौरे
.....
17. वर्ष के दौरान संपर्क कार्यालय/संपर्क कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या। उन कर्मचारियों की, जो 50,000 रुपए या उससे अधिक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, विशिष्टियां जिनमें उनका नाम, पदनाम तथा कार्य करने की अवस्थिति को विनिर्दिष्ट किया गया हो
.....
18. भारत में अनिवासी व्यक्ति के अभिकर्ताओं/प्रतिनिधियों/वितरकों के ब्यौरे (पूरे पते सहित, जिसके अंतर्गत ¹[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] भी है)
.....

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से “स्थायी खाता संख्यांक” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

19. भारत में उन पांच मुख्य पक्षों के नाम और पते जिनके साथ संपर्क कार्यालय संपर्क कार्य कर रहा है
-
20. उन उत्पादों या सेवाओं के ब्यौरे, जिनके संबंध में संपर्क कार्यालय द्वारा संपर्क क्रियाकलाप किया गया है
-
21. किसी अन्य सत्ता के ब्यौरे (जिनके अंतर्गत ¹[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक], यदि कोई हो, भी है) जिनके संबंध में संपर्क कार्यालय द्वारा संपर्क क्रियाकलाप किया गया है
-
22. भारत में निगमित शाखा कार्यालय/कंपनियों/सीमित दायित्व भागीदारियों आदि के रूप में भारत में विद्यमान सामूहिक सत्ताओं के ब्यौरे (पते सहित, जिनके अंतर्गत स्थायी खाता संख्यांक भी है) और उनके कारबार संबंधी क्रियाकलापों की प्रकृति
-
23. भारत में सामूहिक सत्ताओं के अन्य संपर्क कार्यालयों के ब्यौरे (पते सहित)
-
24. संपर्क कार्यालय के कार्यालय के रूप में उसी परिसर से प्रचालित अन्य सामूहिक सत्ताएं।
-

सत्यापन

मैं [स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम] सुपुत्र/सुपुत्री श्री जिसका स्थायी खाता संख्यांक है, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस प्ररूप में दी गई सूचना सही और संपूर्ण है तथा उसमें दर्शित अन्य विशिष्टियों का सही तौर पर कथन किया गया है। मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह प्ररूप के रूप में अपनी हैसियत में प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मैं यह निवेदन करने तथा इसे सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ।

आज तारीख को सत्यापित किया गया।

स्थान

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से “स्थायी खाता संख्यांक” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।